



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 14, 2015/पौष 24, 1936

No. 16]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 14, 2015/PAUSA 24, 1936

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2015

सं. 12011/04/2014-बीसी-II.—भारत सरकार ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 8 सितंबर, 1993 के का.ज्ञा. 36012/22/93-स्था. (एससीटी) के द्वारा केंद्र सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में रिक्तियों का 27 प्रतिशत भाग अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के पक्ष में सीधी भर्ती के माध्यम से भरने के लिए आरक्षित किया है।

2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) अधिनियम, 1993 (1993 का 27) के उपबंधों के अनुसार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी, ताकि ओबीसी की केंद्रीय सूची में समावेशन और अधिक समावेशन और अल्प समावेशन की शिकायतों पर विचार किया जा सके, उनकी जांच की जा सके और तत्संबंधी सिफारिश की जा सके।

3. 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में ओबीसी की सामान्य केंद्रीय सूची मंत्रालय के संकल्प सं.12011/68/1993-बीसीसी(सी), दिनांक 10 सितंबर, 1993; सं.12011/9/1994-बीसीसी, दिनांक 19 अक्टूबर, 1994; सं.12011/7/1995-बीसीसी, दिनांक 24 मई, 1995 और सं.12011/99/94-बीसीसी, दिनांक 11 दिसंबर, 1997 के द्वारा अधिसूचित की गई थी। उक्त सूचियों में एनसीबीसी की सिफारिशों के आधार पर संशोधन किया गया था और उन्हें समय-समय पर संकल्प सं.12011/96/94-बीसीसी, दिनांक 9 मार्च, 1996; सं.12011/44/96-बीसीसी, दिनांक 6 दिसंबर, 1996; सं.12011/13/97-बीसीसी, दिनांक 3 दिसंबर, 1997; सं.12011/68/98-बीसीसी, दिनांक 27 अक्टूबर, 1999; सं.12011/88/99-बीसीसी, दिनांक 6 दिसंबर, 1999; सं.12011/36/99-बीसीसी, दिनांक 4 अप्रैल, 2000; सं.12011/44/99-बीसीसी, दिनांक 21 सितंबर, 2000; सं. 12015/9/2000-बीसीसी, दिनांक 6 सितंबर, 2001;

सं.12011/1/2001-बीसीसी, दिनांक 19 जून, 2003; सं. 12011/4/2002-बीसीसी, दिनांक 13 जनवरी, 2004; सं.12011/9/2004-बीसीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2006; सं. 12011/14/2004-बीसीसी, दिनांक 12 मार्च, 2007; सं.12011/16/2007-बीसीसी, दिनांक 12 अक्टूबर, 2007; सं. 12018/6/2005-बीसीसी, दिनांक 30 जुलाई, 2010; सं.12015/2/2007-बीसीसी, दिनांक 18 अगस्त, 2010; सं. 12015/15/2008-बीसीसी, दिनांक 16.6.2011; सं.12015/13/2010-बीसी-II, दिनांक 8 दिसंबर, 2011; सं. 12015/5/2011-बीसी-II, दिनांक 17 फरवरी, 2014 और सं. 20012/129/2009-बीसी-II, दिनांक 4 मार्च, 2014 के द्वारा अधिसूचित की गई थी।

4. एनसीबीसी ने बाद में मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में ओबीसी की केंद्रीय सूची में एक जाति की वर्तनी में शुद्धि करने की सिफारिश की है।

5. सरकार ने आयोग की सिफारिश पर विचार किया है और उसे स्वीकार कर लिया है। तदनुसार, मध्य प्रदेश के संबंध में ओबीसी की केंद्रीय सूची में संशोधन एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है।

क्र.सं.	राज्य का नाम	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1.	मध्य प्रदेश	37. करमारिया	37. कमारिया

बी.एल. मीना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

RESOLUTION

New Delhi, the 14th January, 2015

No. 12011/04/2014-BC-II.—The Government of India, vide the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Personnel and Training) OM No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated the 8th September, 1993 have reserved 27 per cent of vacancies in civil posts and services under the Central Government, to be filled through direct recruitment in favour of the Other Backward Classes (OBCs).

2. The National Commission for Backward Classes (NCBC) was set up as per the provisions of the National Commission for Backward Classes Act, 1993 (27 of 1993) to entertain, examine and recommend upon the requests for inclusion and complaints of over-inclusion and under-inclusion in the Central List of OBCs.

3. The Common Central List of OBCs in respect of 26 States and Union Territories were notified vide Ministry of Resolution No.12011/68/1993-BCC(C) dated the 10th September, 1993, No.12011/9/1994-BCC dated 19th October, 1994, No.12011/7/1995-BCC dated the 24th May, 1995 and No.12011/99/94-BCC dated the 11th December, 1997. The said lists were amended on the basis of the recommendations of the NCBC and notified from time to time vide Resolutions No.12011/96/94-BCC dated the 9th March, 1996, No.12011/44/96-BCC dated the 6th December, 1996, No.12011/13/97-BCC dated the 3rd December, 1997, No.12011/68/98-BCC dated the 27th October, 1999, No.12011/88/99-BCC dated the 6th December, 1999, No.12011/36/99-BCC dated the 4th April, 2000, No.12011/44/99-BCC dated the 21st September, 2000, No.12015/9/2000-BCC dated the 6th September, 2001, No.12011/1/2001-BCC dated the 19th June, 2003, No.12011/4/2002-BCC dated the 13th January, 2004, No.12011/9/2004-BCC dated the 16th January, 2006, No.12011/14/2004-BCC dated the 12th March, 2007, No.12011/16/2007-BCC dated the 12th October, 2007, No.12018/6/2005-BCC dated the 30th July, 2010, No.12015/2/2007-BCC dated the 18th August, 2010, No.12015/15/2008-BCC dated the 16th June, 2011,

No.12015/13/2010-BC-II dated the 8th December, 2011, No.12015/5/2011-BC-II dated the 17th February, 2014 and No. 20012/129/2009-BC-II dated the 4th March, 2014.

4. The NCBC have subsequently recommended for spelling correction of one caste in the Central List of OBCs in respect of the State of Madhya Pradesh.

5. The Government has considered and accepted the recommendation of the Commission. Accordingly, the amendment in the Central List of OBCs in respect of Madhya Pradesh is hereby notified.

S.No.	Name of the State	Old Entry	New Entry
1.	Madhya Pradesh	37. Karmariya	37. Kamariya

B. L. MEENA, Jt. Secy.